तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/4515/2006/करौली पुलिस अधीक्षक, करौली बनाम रामनिवास व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.6.19	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री एन0के0गोयल, अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **निर्णय** प्रार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–11–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलेक्टर, करौली ने आवंटन आदेश दिनांक 01.5.1999 द्वारा विभिन्न खसरा नंबर की रकबा 0.60 है0 चरागाह भूमि ग्रम बहरोली तहसील टोडाभीम में नवस्थापित पुलिस चौकी मेंहदीपुर बालाजी के भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कालेजों, सावर्जनिक उपयोग व अन्य भवनो को भूमि आवंटन) नियम 1963 के तहत आवंटन किया था। उक्त चारागाह भूमि से वर्ष 1989 में ग्रम पंचायत द्वारा कुछ व्यक्तियों आबादी हेतु पट्टे जारी कर दिये । वर्तमान में उक्त विवादित आराजी पर पुख्ता रिहायशी मकान बनाकर लोग रह रहे है। जिला कलेक्टर द्वारा पुलिस चौकी को आवंटन करते समय विवादित रकबा आवंटन हेतु खाली नहीं था। आवंटन आदेश दिनांक 01.5.1999 को लेकर पुलिस विभाग द्वारा वहां रह रहे लोगों को विवादित आराजी खाली करने हेतु कहा जा रहा है । जिला कलेक्टर उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जिसे अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 03.11.99 से आंशिक स्वीकार आंवटन आदेश में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/4515/2006/करौली पुलिस अधीक्षक, करौली बनाम रामनिवास व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संशोधन हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की है। अपील अधिकारी के उक्त आदेश से ग्रसित होकर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपील में सुना गया । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटन भूमि पर रेस्पो0 का किसी प्रकार का दखल नहीं है उनको जारी पटटे गलत व फर्जी है जो विवादित स्थान के भी नहीं है। रेस्पो0 वर्ष 1980 से काबिज नहीं है एवं विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सबंध भी उनका नहीं है। विवादित भूमि आबादी पूर्व में भी सरकारी थी और आज भी सरकारी ही है। विवादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिसकी सुरक्षा करना प्रशासन व ग्राम पंचायत की वैधानिक जिम्मेदारी है। विवादित स्थान पर पुलिस चौकी पूर्व से ही कायम है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पो0 ने कहा है कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा वर्ष 1980 से है जबकि तथाकथित पटटे वर्ष 1990 के है। अतः पटटे लेने से पहले विवादित आराजी पर उनका कब्जा किसी प्रकार से हो गया यह साबित करने में रेस्पो0 सफल नहीं हो पाये। बहस के अतं में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 03.11.199 को खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि ख0न0 8 व 9 का सम्पूर्ण तथा 7 का 5 ऐयरस भूमि पर उनका कब्जा भौतिक रूप से है क्योंकि उनके द्वारा वर्ष 1980 से लगातार उक्त आबादी की 2 बीघा भूमि में से 15 गज पूर्व, पश्चिम व 10 वर्गगज उत्तर–दक्षिण की जगह पर कब्जा चला आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि वे वर्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/4515/2006/करौली पुलिस अधीक्षक, करौली बनाम रामनिवास व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1980 से उक्त विवादित आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है तथा उनके द्वारा मौके पर पुख्ता दीवार पेड पौधे लगाकर बाउण्ड्री करा रखी है। जिसे तोडने बाबत एक प्रकरण सिविल न्यायालय हिण्डौन सिटी में भी चला जिसमें उन्होने अपने निर्णय दिनांक 12..5.1999 में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी। जिसमें हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में उक्त उल्लेख वर्णित किया है। बहस के अतं में विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त करने का निवेदन किया। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इस सबंध में विवादित आराजी के चारागाह होने और ग्रम पंचायत को आबादी हेतु आवंटन और संबधित व्यक्तियों को पटटा आवंटन की कार्यवाही की विधिसंगतता बाबत समुचित रूप से विश्लेषण, परीक्षण व अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ उप जिला कलेक्टर को प्रतिप्रेषित किया जात है कि वह राजस्व रिकार्ड से और ग्रम पंचायत के रिकार्ड से पूर्ण जाँच व परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे की वादग्रस्त भूमियां का आबादी हेतु आवंटन ग्रम पंचायत को सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत किया गया है या नहीं और संबधित ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त पटटों को जारी करने की कार्यवाही संबधित विधिक प्रावधानों व नियमों के अंतर्गत की गयी है या नहीं। वादग्रस्त भूमियों की किस्म चारागाह है जिसके सबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा विधिक प्रावधान व बाध्यकारी दिशा निर्देश भी जारी किये हुये है। जिसके अनुसार प्रकरण में अपेक्षित पालना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/4515/2006/करौली पुलिस अधीक्षक, करौली बनाम रामनिवास व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुई है या नही। इस सबंध में पूर्ण जाचं व परीक्षण कर समुचित निर्णय पारित किया जावे। परिणामतः अपील को आंशिक स्वीकार की जाकर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण जिला कलेक्टर, करौली को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	